भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1546

20 सितम्बर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्यान्नों हेतु भण्डारण

1546. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गांवों में किसानों के खाद्यान्न के लिए भंडारण या गोदाम की सुविधा बनाने पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) आज की तिथि अनुसार उपलब्ध सुविधओं की संख्यासंबंधी वर्तमान आंकड़े क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जी हां। सरकार समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) के कृषि विपणन अवंसरचना (एएमआई) उप-स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत गांवों में किसानों के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भंडागार अथवा वेयर हाउस सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। एएमआई स्कीम मांगवाहित, ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता स्कीम है जिसमें पात्र लाभार्थियों के वर्गों के आधार पर परियोजना की पूंजी लागत पर 25 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जाती है। उप-स्कीम के अंतर्गत किसी व्यक्ति, कृषि उद्यमियों, किसानों/उत्पादकों के समूह, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता दी जाती है।

एएमआई स्कीम के अंतर्गत इसकी शुरूआत से लेकर 30.06.2020 तक 665.3 लाख एमटी की भंडारण क्षमता के साथ कुल 39,416 भंडागार अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता दी गई है जिससे किसानों सहित अनेक कृषि उद्यमी लाभांवित हुए हैं।

सरकार ने ब्याज छूट और वित्तीय सहायता के माध्यम से वेयरहाउसिंग सुविधा तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों सहित फसलोपरांत मंडी अवसंरचना के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु, मध्यम दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करने के लिए 1,00,000 करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना निधि (एएमआई) के अंतर्गत वित्तीय सुविधा देने के लिए नई केंद्र क्षेत्र स्कीम की मंजूरी दी है।

*****